



संख्या : २८४३ / जी०एस० / शिक्षा / A3-92/2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड

देहरादून: दिनांक ०४ फरवरी, 2021

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्या: 1701/केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 14.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, गणाई, गंगोली, पिथौरागढ़ को बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

२— शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-३७ (२) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के समुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्नांकित उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
१	२	३	४	५
१.	राजकीय महाविद्यालय, गणाई, गंगोली, पिथौरागढ़	बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृत)	८० सीट प्रति विषय	सत्र 2020-21

- (१) य०जी०सी० विनियम व विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप छात्र हित में मानक पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- (२) अग्रेतर सत्रों में सम्बद्धता हेतु य०जी०सी० विनियम में निहित प्राक्षिधानों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सम्बन्धित संस्थानों/महाविद्यालयों में समस्त मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रस्ताव मा० कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायं।
- (३) यदि सम्बद्धता/पूर्वानुमोदन के पश्चात मानक पूर्ण न होने की दशा में किसी महाविद्यालय/संस्थान की सम्बद्धता पर प्रश्न चिन्ह अथवा कोई शिकायत मा० कुलाधिपति महोदया के संज्ञान में आती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा और ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
- (४) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद य०जी०सी० के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार समस्त मानक पूर्ण होने की दशा में/समस्त मानक पूर्ण कराने के उपरान्त सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति जी के अवगतार्थ भी उपलब्ध करायें।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : २८४३ (१) / जी०एस० / शिक्षा / A3-92/2019 तदनिर्दिष्ट।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

१. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
२. निदेशक, उच्च शिक्षा, हज्जानी।
३. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गणाई, गंगोली, पिथौरागढ़।
४. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु। (१०२)

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।